

फाइल सं. ए.12018/77/2019-कुष्ठ

भारत सरकार


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में नर्सिंग अर्दली (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में नर्सिंग अर्दली (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। manojkumar.upadhyay29@gov.in


(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 01/12/22

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख....., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि..... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (नर्सिंग अर्दली) भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में नर्सिंग अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ नर्सिंग अर्दली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।
2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या।	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नर्सिंग अर्दली	7*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर -1 (18000 से 56900) रु.	लागू नहीं होता।
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।		प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
6		7	8	9
18-25 वर्ष के बीच		अनिवार्य:	लागू नहीं होता।	दो साल।
यदि भर्ती अखिल खुली प्रतियोगिता परीक्षा के मध्यम से होती है तो आयु सीमा 18 और 27 वर्ष होगी।		1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।		
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।		2. फर्स्ट एड प्राथमिक ज्ञान।		
टिप्पण1: आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		3. घावों की मरहमपट्टी का एक वर्ष का अनुभव		
		टिप्पण 1: अर्हताओं में उच्च अर्हताएं प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देशों पर छूट दी जा सकती है।		
		टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

<p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>			
<p>भर्ती की विधि प्रत्यक्ष या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से और विभिन्न विधियों द्वारा पद भरने का प्रतिशत</p>	<p>भर्ती के मामले में किसी भी पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किए जाने वाला ग्रेड</p>	<p>क्या विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना।</p>	<p>परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।</p>
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>100% सीधी भर्ती से नोट: 1 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में दूर होने के कारण रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों के बीच से प्रतिनियुक्ति का आधार भरा जाएगा (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में नियमित आधार पर समरूप पद पर हों; तथा (ख) स्तंभ (7) के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हों।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>पदोन्नति समिति की संरचना 1. निदेशक, - अध्यक्ष आरएलटीआरआई, रायपुर 2. उप निदेशक, - सदस्य आरएलटीआरआई रायपुर 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, आरएलटीआरआई, रायपुर - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

फा.सं. ए.12018/77/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार